"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 4 अप्रैल 2014—चैत्र 14, शक 1936

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 14 मार्च 2014

क्रमांक ई-1-04/2014/एक/2.—राज्य शासन द्वारा श्री एम. के. राउत, भा.प्र.से. (सी.जी.:1984), प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा प्रमुख सचिव, श्रम विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त, विकास आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.

नया रायपुर, दिनांक 19 मार्च 2014

क्रमांक ई-1-04/2014/एक/2.—राज्य शासन द्वारा श्रीमति शिखा राजपूत तिवारी, भा.प्र.से. (2008), उप सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उपसचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. ढॉड, मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2014

क्रमांक 551/579/2014/1-8.—श्री एस. के. बेहार, भा.प्र.सेवा (सेवानिवृत्त) विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी (संविदा) आवास एवं पर्यावरण विभाग को उनके वर्तमान दायित्व के साथ-साथ अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. चुरेन्द्र, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 11 मार्च 2014

क्रमांक एफ-7/10/2014/एक-14/भापुसे.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री पी. एस. गौतम, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, अ.अ.वि., पुलिस मुख्यालय, रायपुर को दिनांक 20-01-2014 से दिनांक 31-01-2014 तक (12 दिवस) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही 18, 19 जनवरी 2014 के शासकीय अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश काल में श्री पी. एस. गौतम को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश के जाने से पूर्व मिलते थे.

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. एस. गौतम अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुंद गजभिये, अवर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 1 फरवरी 2014

क्रमांक 156/26/अव./2014/1-8/स्था.—श्री सुनील विजयवर्गीय, अवर सचिव, गृह विभाग को दिनांक 17-01-2014 से 23-01-2014 तक 07 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सुनील विजयवर्गीय आगामी आदेश तक अवर सचिव, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री विजयवर्गीय को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विजयवर्गीय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 1 फरवरी 2014

क्रमांक 158/55/अव./2014/1-8/स्था.—श्री वाय. पी. दुपारे, अवर सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को दिनांक 20-01-2014 से 25-01-2014 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 18, 19, 26-01-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री वाय. पी. दुपारे आगामी आदेश तक अवर सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री दुपारे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दुपारे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 1 फरवरी 2014

क्रमांक 160/64/अव./2014/1-8/स्था.—श्री के. सी. वर्मा, अवर सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को दिनांक 10-02-2014 से 14-02-2014 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 08, 09, 15, 16-02-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. वर्मा आगामी आदेश तक अवर सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री वर्मा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 1 फरवरी 2014

क्रमांक 162/57/अव./2014/1-8/स्था.—श्री कमर अली, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 03-03-2014 से 17-04-2014 तक 44 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 02-03-2014 एवं 18, 19, 20-04-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री कमर अली आगामी आदेश तक अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री अली को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अली अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 11 फरवरी 2014

क्रमांक एफ 10-10/2013/1-8.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14-12-2012 द्वारा श्री विक्रम सिंह सिसोदिया को विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय के पद पर वेतन रुपये 65000/- एक मुस्त मासिक परिलब्धियों पर पदस्थ किया गया है. राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त वेतन में आंशिक संशोधन करते हुए श्री सिसोदिया को निश्चित वेतन रुपये 75000/- (रुपये पचहत्तर हजार) प्रतिमाह दिनांक 12-12-2013 से स्वीकृत किया जाता है. पूर्व में स्वीकृत अन्य सुविधाएं यथावत रहेगी.

2. नियमानुसार एकमुश्त मासिक परिलब्धियों से पेंशन घटाया जायेगा.

3. यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 33/एफ-2013-01-00235/सी. एन. बजट-5/वित्त/चार/दि. 30-01-2014 द्वारा दी गई सहमति के आधार पर दी गई है.

4. श्री सिसोदिया की संविदा नियुक्ति की शेष शर्तें यथावत रहेगी.

नया रायपुर, दिनांक 19 फरवरी 2014

क्रमांक एफ 9-5/2013/1-8.—राज्य शासन, एतद्द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31-05-2013 द्वारा श्री एस. के. चक्रवर्ती, राज्य वित्त सेवा को उनकी सेवानिवृत्ति पश्चात् उप सचिव के पद पर दी गई संविदा नियुक्ति को निरस्त करते हुए, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के नियम 5(3) सहपठित नियम-8(ख)(ग) के प्रावधानों के अंतर्गत श्री एस. के. चक्रवर्ती (राज्य वित्त सेवा), से.नि. उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक, एक वर्ष के लिए वित्त विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर संविदा नियुक्ति पर पदस्थ करता है.

2. श्री चक्रवर्ती की संविदा नियुक्ति की सेवा-शर्तें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के अध्यधीन रहेगी.

नया रायपुर, दिनांक 21 फरवरी 2014

क्रमांक 465/2492/2013/1-8.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम-2012 के नियम 4 (3) के तहत मंत्रालय के सेटअप में अन्य संवर्ग के लिए स्वीकृत अवर सचिव के रिक्त पदों में से एक पद को संविदा का पद घोषित करते हुए उक्त पद पर श्री मोहन सिंह ठाकुर, सेवानिवृत्त अवर सचिव को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष अथवा उक्त पद की पूर्ति होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए संविदा पर नियुक्त करता है.

2. उक्त संविदा नियुक्ति पर श्री मोहन सिंह ठाकुर को अवर सचिव, विमानन विभाग के पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है. श्री ठाकुर के कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अब्बास खान, अवर सचिव, विमानन विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

3. श्री ठाकुर की संविदा नियुक्ति की शर्तें संविदा नियम, 2012 के प्रावधानों एवं शर्तों के अनुसार रहेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, अवर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 26 फरवरी 2014

क्रमांक एफ 10-10/2003/1-8/स्था.—श्री विक्रम सिंह सिसोदिया, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी (संविदा नियुक्त), मुख्यमंत्री सचिवालय को दिनांक 29-01-2014 से 06-02-2014 तक 09 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिसोदिया, आगामी आदेश तक विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री सिसोदिया को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिसोदिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 26 फरवरी 2014

क्रमांक 272/441/अव./2014/1-8/स्था.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 82-82/25/अव./2014/1-8/स्था, दिनांक 23-01-2014 द्वारा श्री जी. आर. मालवीय, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग को दिनांक 27-01-2014 से 07-02-2014 तक 12 दिवस का स्वीकृत अर्जित अवकाश एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 3 मार्च 2014

क्रमांक 276/118/अव./2014/1-8/स्था.—श्री बी. एल. सोनी, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 10-02-2014 से 14-02-2014 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 08, 09, 15, 16-02-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री बी. एल. सोनी आगामी आदेश तक अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री सोनी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सोनी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 13 मार्च 2014

क्रमांक 280/118/अव./2014/1-8/स्था.—श्री तीरथ प्रसाद लड़िया, अवर सचिव, सामान्य प्रासन विभाग को दिनांक 24-02-2014 से 07-03-2014 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 23-02-2014 तथा 08, 09-03-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री तीरथ प्रसाद लड़िया आगामी आदेश तक अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री लड़िया को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लड़िया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. ठाकुर, अवर सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 मार्च 2014

क्रमांक एफ 7-5/2012/मबावि/50.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2007 के नियम 91 के अनुसार गठित राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा दिनांक 21 फरवरी 2014 के अनुक्रम में राज्य शासन एतद्द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा 62 अनुसार जिला स्तरीय सलाहकार बोर्ड का गठन करता है.

जिला स्तरीय सलाहकार/निरीक्षण समिति

1.	जिला कलेक्टर	—	पदेन अध्यक्ष
2.	सदस्य सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण	—	पदेन सदस्य

3.	पुलिस अधीक्षक	—	पदेन सदस्य
4.	उप संचालक, समाज कल्याण विभाग	—	पदेन सदस्य
5.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	—	पदेन सदस्य
6.	जिला शिक्षा अधिकारी	—	पदेन सदस्य
7.	उप श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी	—	पदेन सदस्य
8.	सहायक आयुक्त, आदिमजाति कल्याण	—	पदेन सदस्य
9.	जिला बाल संरक्षण अधिकारी	—	सदस्य सचिव
10.	जिला कलेक्टर द्वारा नामांकित दो स्वैच्छिक संगठन/सामाजिक कार्यकर्ता जिसमें एक महिला होगी.	—	सदस्य

1. उपरोक्त समिति का कार्यकाल आदेश जारी होने की तिथि से 3 वर्ष के लिए रहेगा.
2. सलाहकार बोर्ड वर्ष में कम से कम दो बैठकें आयोजित करेगा.
3. ये सलाहकार बोर्ड, अपने संबंधित कार्यक्षेत्रों में विभिन्न संस्थागत या गैर संस्थागत सेवाओं का निरीक्षण करेंगे और उनके द्वारा की गई सिफारिशों पर यथा आवश्यक कार्यवाही की जाएगी.
4. सलाहकार बोर्ड में सेवा-समाप्ति, त्याग-पत्र या अन्य किसी कारण से रिक्त हुए पद पर नए सदस्यों की नियुक्ति विहित प्रक्रिया अनुसार की जायेगी.
5. उपरोक्त बोर्ड किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा 35 के अनुसार निरीक्षण समिति का कार्य भी करेगी.
6. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

रायपुर, दिनांक 3 मार्च 2014

क्रमांक एफ 7-5/2012/मबावि/50.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2007 के नियम 91 के अनुसार गठित राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा दिनांक 21 फरवरी 2014 के अनुक्रम में राज्य शासन एतद्द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा 62 अनुसार राज्य स्तरीय सलाहकार बोर्ड का गठन करता है.

1.	सचिव, महिला एवं बाल विकास/अध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति	—	पदेन अध्यक्ष
2.	सचिव, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग	—	पदेन सदस्य
3.	सचिव, श्रम विभाग	—	पदेन सदस्य
4.	सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग	—	पदेन सदस्य
5.	माननीय सदस्य, छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग	—	पदेन सदस्य
6.	सदस्य सचिव, राज्य मानव अधिकार आयोग	—	पदेन सदस्य
7.	संचालक, महिला एवं बाल विकास	—	पदेन सदस्य
8.	सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	—	पदेन सदस्य
9.	पुलिस महानिरीक्षक, अजाक पुलिस मुख्यालय रायपुर	—	पदेन सदस्य
10.	एक अध्यक्ष बालक कल्याण समिति-चक्रानुक्रम में* *(अंग्रेजी के वर्णानुक्रम में 2 बैठकों के लिए नामांकित किये जायेंगे)	—	पदेन सदस्य
11.	संयुक्त संचालक, आईसीपीएस	—	सदस्य सचिव
12.	विभागीय मंत्री के अनुमोदन से नामांकित दो सामाजिक कार्यकर्ता/स्वैच्छिक संगठन का प्रतिनिधि (एक महिला सदस्य हो)	—	सदस्य

1. उपरोक्त समिति का कार्यकाल आदेश जारी होने की तिथि से 3 वर्ष के लिए रहेगा.
2. सलाहकार बोर्ड वर्ष में कम से कम दो बैठकें आयोजित करेगी.
3. ये सलाहकार बोर्ड, अपने कार्यक्षेत्र में विभिन्न संस्थागत या गैर संस्थागत सेवाओं का निरीक्षण करेंगे और उनके द्वारा की गई सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार द्वारा यथा आवश्यक कार्यवाही की जाएगी.
4. सलाहकार बोर्ड में सेवा-समाप्ति, त्याग-पत्र या अन्य किसी कारण से रिक्त हुए पद पर नए सदस्यों की नियुक्ति विहित रीति से की जायेगी.
5. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

रायपुर, दिनांक 3 मार्च 2014

क्रमांक एफ 11-3/2013/मबावि/50.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 धारा 29 की उपधारा (4) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा अनुसार निम्नानुसार जिलों में बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों का त्याग पत्र स्वीकार किया गया :—

क्र. (1)	जिले का नाम (2)	अध्यक्ष/सदस्य का नाम (3)	कारण (4)
1.	बालोद	श्री किशन लाल साहू	त्याग पत्र स्वीकार किया गया
2.	नारायणपुर	श्री देवीसिंह मांझी	त्याग पत्र स्वीकार किया गया
3.	बेमेतरा	श्रीमती निवेदिता शरद जोशी	त्याग पत्र स्वीकार किया गया

यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगा.

रायपुर, दिनांक 3 मार्च 2014

क्रमांक एफ 11-3/2013/मबावि/50.—राज्य शासन एतद्द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 यथा संशोधित अधिनियम 2006 की धारा 4 की उपधारा (1) एवं (2) के तहत गठित निम्नलिखित किशोर न्याय बोर्ड में रिक्त सामाजिक सदस्य के पद पर राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा अनुसार चयनित सदस्य/सदस्यों की नियुक्ति करता है :—

क्र. (1)	किशोर न्याय बोर्ड (2)	क्षेत्र/सम्मिलित जिले (3)	सामाजिक सदस्य का नाम (4)
1.	धमतरी	धमतरी	श्री गोविंद राम साहू
2.	कोरिया	कोरिया	श्रीमती आभा चारूपा
3.	जशपुर	जशपुर	श्री नीतिन कुमार राय

उपरोक्त नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :—

1. उपरोक्त चयन, अभ्यर्थियों द्वारा दिए गये आवेदन एवं दस्तावेजों के आधार पर किया गया है. किसी भी स्तर पर गलत जानकारी अथवा शिकायत की दशा में संबंधित का चयन निरस्त करने का अधिकार चयन समिति को होगा. इस संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा.

2. किशोर न्याय बोर्ड के सामाजिक सदस्य की कालावधि आदेश जारी होने के दिनांक से 3 वर्ष के लिए होगी.

3. किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य की सदस्यता अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (5) में दिये गये प्रावधानों के अनुसार समाप्त की जा सकेगी.

4. इसके अतिरिक्त समिति के सदस्य लिखित में 1 मास का अग्रिम नोटिस देकर किसी भी समय पद त्याग सकेगा.

5. बार्ड के लिए उपरोक्त चयनित सामाजिक सदस्य, बच्चों के कल्याण व संरक्षण के लिए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2007 के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड की सदस्य की हैसियत से सुसंगत कार्यवाही करेंगे.

रायपुर, दिनांक 3 मार्च 2014

क्रमांक एफ 11-3/2013/मबावि/50.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 धारा 29 की उपधारा (4) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा अनुसार निम्नानुसार जिलों में बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं

सदस्यों का चयन निरस्त करता है :—

क्र. (1)	जिले का नाम (2)	अध्यक्ष/सदस्य का नाम (3)	कारण (4)
1.	कवर्धा	श्री बिहारी दास वैष्णव	किशोर न्याय अधिनियम 2000 की धारा 29 (4) (iii) के प्रावधानों के तहत पद से हटाया गया.
2.	जशपुर	श्री अरूण कुमार गुप्ता	किशोर न्याय अधिनियम 2000 की धारा 29 (4) (iii) के प्रावधानों के तहत पद से हटाया गया.
3.	बलौदाबाजार	श्रीमती विभा केशरवानी	किशोर न्याय अधिनियम 2000 की धारा 29 (4) (iii) के प्रावधानों के तहत पद से हटाया गया.
5.	बलरामपुर	डॉ. तुलसी मरकाम	किशोर न्याय अधिनियम 2000 की धारा 29 (4) (iii) के प्रावधानों के तहत पद से हटाया गया.

यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगा.

रायपुर, दिनांक 3 मार्च 2014

क्रमांक एफ 11-3/2013/मबावि/50.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2007 के नियम 91 के अनुसार गठित राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा अनुसार किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 धारा 29 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम 2007 के नियम 20 (1) के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार एतद्द्वारा, निम्नानुसार जिलों में बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन करते हुए समिति गठित/पुनर्गठित करता है :—

क्र. (1)	जिले का नाम (2)	अध्यक्ष का नाम (3)	सदस्यों का नाम (4)
1.	रायगढ़	—	श्री लालकुमार कार्की
2.	जशपुर	—	1. श्री राजेश महापात्र 2. सुश्री रोशनी सिद्धीकी
3.	कोरिया	—	कुमारी आशा जायसवाल
4.	कोण्डागांव	श्री लखन लाल पटेल	श्रीमती ज्योति जैन
5.	सुकमा	श्री आदित्य पाण्डेय	1. श्री हुगाराम मरकाम 2. कुमारी मान्या चौहान
6.	मुंगेली	—	श्रीमती विजया दयाल

उपरोक्त नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :—

1. उपरोक्त चयन सूची, अभ्यार्थियों द्वारा दिए गये आवेदन एवं दस्तावेजों के आधार पर तैयार किया गया है. किसी भी स्तर पर गलत जानकारी अथवा शिकायत की दशा में संबंधित का चयन निरस्त करने का अधिकार चयन समिति को होगा. इस संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा.

2. बालक कल्याण समिति की कालावधि आदेश जारी होने के दिनांक से 3 वर्ष के लिए होगी और अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति अधिकतम दो कालावधियों के लिए होगी.

3. यह समिति बाल गृह के परिसर में अथवा जिला बाल संरक्षण समिति द्वारा निर्धारित स्थान में अपनी बैठक आहूत करेगी.

4. बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्य की सदस्यता अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (4) में दिये गये प्रावधानों के अनुसार समाप्त की जा सकेगी.

5. इसके अतिरिक्त समिति के सदस्य लिखित में 1 मास का अग्रिम नोटिस देकर किसी भी समय पद त्याग सकेगा.

6. समिति बच्चों के कल्याण व संरक्षण के लिए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2007 के प्रावधानों के अनुसार सुसंगत कार्यवाही करेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, सचिव.

वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 3 मार्च 2014

क्रमांक एफ 1-24/2013/स्था./चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा (राजपत्रित) नियम, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

1. अनुसूची-एक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"अनुसूची-एक
(नियम 5 देखिये)

विभाग का नाम	सेवा का नाम	पद के संवर्गों का विवरण एवं उनका वेतनमान	स्वीकृत पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वित्त विभाग	छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा	कनिष्ठ वेतनमान 15600-39100 ग्रेड वेतन 5400	238	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	53%
		वरिष्ठ वेतनमान 15600-39100 ग्रेड वेतन-6600	113	राजपत्रित प्रथम श्रेणी	25%
		प्रवर श्रेणी वेतनमान 15600-39100 ग्रेड वेतन-7600	67	राजपत्रित प्रथम श्रेणी	15%
		वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान 37400-67000 ग्रेड वेतन-8700	23	राजपत्रित प्रथम श्रेणी	05%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		अधिसमय वेतनमान 37400-67000 ग्रेड वेतन-8900	09	राजपत्रित प्रथम श्रेणी	02%"

2. अनसूची-दो के कॉलम (3) में, अंक "270" के स्थान पर, अंक "450" प्रतिस्थापित किया जाये.

No. F 1-24/2013/Est./Four.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh State Finance Service (Gazetted) Rules, 2013, namely :—

AMENDMENT

In schedule of the said rules,—

1. For Schedule-I, the following shall be substituted, namely :—

"SCHEDULE-I
(See Rules 5)

Name of the Department	Name of the Service	Description of categories of posts and their pay scales	Total number of posts sanctioned	Classification	Percentage
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Finance Department	Chhattisagrh State Finance Service	Junior Scale 15600-39100 Grade Pay 5400	238	Gazetted Class II	53%
		Senior Scale 15600-39100 Grade Pay 6600	113	Gazetted Class I	25%
		Selection Grade Scale 15600-39100 Grade Pay 7600	67	Gazetted Class I	15%
		Senior Selection Grade Scale 37400-67000 Grade Pay 8700	23	Gazetted Class I	05%
		Super Time Scale Grade 37400-67000 Grade Pay 8900	09	Gazetted Class I	02%"

2. In column (3) of Schedule-II, for the figure "270", the figure "450" shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. जे. खत्री, संयुक्त सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2014

क्रमांक एफ 1-2/2014/ग्यारह/(छ:).—राज्य शासन एतद्द्वारा वाणिज्य एवं उद्योग विभाग में औद्योगिक इकाईयों के निम्नांकित प्रकरणों में त्वरित कार्य संपादन के लिये अधिकारों का विकेन्द्रीकरण करते हुये वर्तमान प्रक्रिया को निम्नानुसार संशोधित करता है :—

क्र.	कार्य का नाम	स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी
1.	राज्योत्सव के आयोजन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रेषित बजट राशि के आहरण की स्वीकृति.	भारसाधक सचिव
2.	अन्य प्रदेशों में होने वाले राज्योत्सव/प्रवासी भारतीय दिवस आदि में भागीदारी हेतु सीएसआईडीसी के प्रस्ताव का अनुमोदन.	भारसाधक सचिव
3.	शासकीय भूमि हस्तांतरण की सैद्धांतिक सहमति	भारसाधक सचिव
4.	निजी भूमि/शासकीय भूमि का आधिपत्य सीएसआईडीसी को सौंपने के लिये संचालनालय को अनुमति.	भारसाधक सचिव
5.	बॉयलर छूट प्रकरणों पर निर्णय/अनुमोदन	भारसाधक सचिव

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. बैजेन्द्र कुमार, प्रमुख सचिव.

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 3 मार्च 2014

क्रमांक एफ 12-03/2014/20-3.—छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 क्रमांक 23 सन् 1965 की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ट) के उपखण्डों द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित माध्यमिक शिक्षा मंडल के सदस्यों के कार्यकाल में आगामी 6 माह तक की वृद्धि की जाती है :—

1. उपखण्ड (एक) के अन्तर्गत—मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के तीन प्राचार्यो/प्राधानाध्यापक :—

क्रमांक	नाम	पता
1.	श्रीमती सीमा शर्मा, प्राचार्य	शा. उ. मा. विद्यालय, कोहका, दुर्ग
2.	श्री एम. आर. सावंत, प्राचार्य	प्रो. जे. एन. पाण्डेय शा. बहु. उ. मा. विद्यालय, रायपुर
3.	श्री विजय खण्डेलवाल, प्राचार्य	जे. आर. दानी कन्या उ. मा. विद्यालय, रायपुर

2. उपखण्ड (दो) के अन्तर्गत—अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं या प्रशिक्षण महाविद्यालयों के एक प्राचार्य :—

क्रमांक	नाम	पता
1.	श्रीमती नीलू बाला जैन, प्राचार्य	सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय, अंबिकापुर

3. उपखण्ड (तीन) के अन्तर्गत—मंडल द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के छः अध्यापक जिनमें कम से कम एक महिला :—

क्रमांक	नाम	पता
1.	श्री दिलीप केशरवानी, प्राचार्य	शा. उ. मा. विद्यालय, माना बस्ती, रायपुर
2.	श्री संजय जोशी, शिक्षक	गुजराती उ. मा. विद्यायल, देवेन्द्र नगर, रायपुर
3.	श्रीमती सुचिता पाण्डेय, व्याख्याता	प्रो. जे.एन.पाण्डेय, शा.बहु.उ.मा. विद्यालय, रायपुर
4.	श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, व्याख्याता वाणिज्य	स्वामी कारपात्रीजी शास्त्री शा.उ.मा.वि., कवर्धा
5.	श्री मंगरा राम महतो, शिक्षक	शा.उ.मा.विद्यालय, जशपुर नगर
6.	श्री सुधीर गौतम, व्याख्याता	शा.उ.मा.विद्यालय, खल्लारी, वि.खं. डौण्डी, जिला दुर्ग

4. उपखण्ड (चार) के अन्तर्गत स्थानीय निकायों को सम्मिलित करते हुए प्रबंध का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन ऐसे व्यक्ति जो मंडल द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थायें चलाते हों :—

क्रमांक	नाम	पता
1.	श्री पारस राम बोहरा	छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर
2.	श्रीमती श्वेता शर्मा	जिला पंचायत सदस्य छूरा, जिला रायपुर
3.	श्री महराज लाल टंडन, संचालक	मिनिमाता उ.मा.विद्यालय गिरवानी, वि.खं. बिलाईगढ़ जिला रायपुर

5. उपखण्ड (छः) के अन्तर्गत—ऐसे हित का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति जिनका अन्यथा प्रतिनिधित्व न हुआ हो :—

क्रमांक	नाम	पता
1.	डॉ. प्रफूल्ल शर्मा, व्याख्याता	अशासकीय अनुदान प्राप्त उ.मा.वि. कोतमीसुनार जिला जांजगीर-चांपा.
2.	श्री प्रशांत अग्रवाल	धमधा जिला दुर्ग

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एन. राजूरकर, अवर सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 12 मार्च 2014

क्रमांक एफ 1-10/2006/16.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 15-01-2014 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 17-12-2013 में उल्लेखित दिशा निर्देशों के तहत श्री विवेक ढाँड, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग को छ.ग. श्रम कल्याण मंडल में अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था.

राज्य शासन एतद्द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देशों के तहत श्री एम. के. राऊत, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग को छ.ग. श्रम कल्याण मंडल में अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

नया रायपुर, दिनांक 12 मार्च 2014

क्रमांक एफ 10-1/2006/16.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 15-01-2014 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 17-12-2013 में उल्लेखित दिशा निर्देशों के तहत श्री विवेक ढाँड, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग को छ.ग. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था.

राज्य शासन एतद्द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देशों के तहत श्री एम. के. राऊत, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम को छ.ग. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. डी. कुन्दानी, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 23 जनवरी 2014

क्रमांक एफ 7-4/2013/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) **की धारा** 23-क की उपधारा (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 26-2-2013 द्वारा विकास योजना दुर्ग-भिलाई, भाग-2 **में लोक** प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की गई **थी :—**

विकास योजना दुर्ग-भिलाई-भाग-2 की स्वीकार्य उपयोग की सारणी क्रमांक-14-सा-5 में संशोधन

क्र.	सारणी का क्रमांक	भूमि उपयोग परिक्षेत्र	सारणी के कालम-14-सा-5 में सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य भूमि उपयोग में निम्न गतिविधियां जोड़ा जाकर उपांतरण किया जाए
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	14-सा-5	कृषि	एकीकृत उपनगर, भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं.
2.	14-सा-5	आवासीय	एकीकृत उपनगर, भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं.
3.	14-सा-5	वाणिज्यिक सामान्य	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	14-सा-5	वाणिज्यिक विशेषीकृत	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं
5.	14-सा-5	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं
6.	14-सा-5	औद्योगिक	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं
7.	14-सा-5	आमोद-प्रमोद	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं
8.	14-सा-5	यातायात एवं परिवहन	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं

2. सूचना में उल्लेखित निश्चित् समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

3. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा विकास योजना दुर्ग-भिलाई भाग-2 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण विकास योजना दुर्ग-भिलाई भाग-2 का अंगीकृत भाग होगा.

नया रायपुर, दिनांक 23 जनवरी 2014

क्रमांक एफ 7-4/2013/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 26-2-2013 द्वारा चांपा विकास योजना में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की गई थी :—

चांपा विकास योजना की स्वीकार्य उपयोग की सारणी क्रमांक-6-सा-9 में संशोधन

क्र.	सारणी का क्रमांक	भूमि उपयोग परिक्षेत्र	सारणी के कालम-6-सा-9 में सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य भूमि उपयोग में निम्न गतिविधियां जोड़ा जाकर उपांतरण किया जाए
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	6-सा-9	कृषि	एकीकृत उपनगर, भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं.
2.	6-सा-9	आवासीय	एकीकृत उपनगर, भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं.
3.	6-सा-9	वाणिज्यिक सामान्य	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं
4.	6-सा-9	वाणिज्यिक विशेषीकृत	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं
5.	6-सा-9	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं
6.	6-सा-9	औद्योगिक	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं
7.	6-सा-9	आमोद-प्रमोद	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं

(1)	(2)	(3)	(4)
8.	6-सा-9	यातायात एवं परिवहन	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं

2. सूचना में उल्लेखित निश्चित् समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

3. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा चांपा विकास योजना में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण चांपा विकास योजना का अंगीकृत भाग होगा.

नया रायपुर, दिनांक 3 फरवरी 2014

क्रमांक एफ 7-4/2013/32.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 26-2-2013 द्वारा जांजगीर विकास योजना में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की गई थी :—

जांजगीर विकास योजना की स्वीकार्य उपयोग की सारणी क्रमांक-6-सा-26 में संशोधन

क्र.	सारणी का क्रमांक	भूमि उपयोग परिक्षेत्र	सारणी के कालम-6-सा-26 में सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य भूमि उपयोग में निम्न गतिविधियां जोड़ा जाकर उपांतरण किया जाए
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	6-सा-26	कृषि	एकीकृत उपनगर, भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं.
2.	6-सा-26	आवासीय	एकीकृत उपनगर, भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं.
3.	6-सा-26	वाणिज्यिक सामान्य	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं
4.	6-सा-26	वाणिज्यिक विशेषीकृत	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं
5.	6-सा-26	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं
6.	6-सा-26	औद्योगिक	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं
7.	6-सा-26	आमोद-प्रमोद	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं
8.	6-सा-26	यातायात एवं परिवहन	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं

2. सूचना में उल्लेखित निश्चित् समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

3. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा जांजगीर विकास योजना में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण जांजगीर विकास योजना का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 25 फरवरी 2014

क्रमांक 1/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-भरारी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-17.58 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
277	0.06
350/1	0.24
350/2	0.10
350/10	0.36
350/9	0.30
350/7	0.24
350/3	0.54
349	0.36
348	0.05
337/1	0.51
335/1	0.27
334/1	0.81
284	0.61
282	1.10
64	0.05
65/2	0.21
65/1	0.21
65/3	0.21
66	1.05
67/2	0.40
67/8	0.24
221/1	0.53
222/2	0.16
222/5	0.10
222/8	0.23
224/2	0.60
231/8	0.46
232/1	0.32
231/5	0.42
231/12	0.07
231/13	0.24
231/4	0.30
231/9	0.42
242/1, 242/2, 242/3	1.15
243/1	0.25
719/4	0.30
719/6	0.04
721/4	0.33
721/2	0.48
730/1, 730/2	0.25
732/6	0.32
731	0.44
732/4	0.60
732/3	0.33
732/2	0.02
745/2	0.30
742/4, 742/5, 742/6	1.00
योग 52	17.58

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सल्का व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 25 फरवरी 2014

क्रमांक 16/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

(ख) तहसील-कोटा

(ग) नगर/ग्राम-कुआजति

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.77 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	10/2	0.37
	11/2	0.20
	19	1.50
	17	0.30
	16	1.00
	76	0.40
	73/2	1.00
	73/3	1.00
	73/5	0.60
	73/7	0.40
योग		6.77

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आमामुड़ा व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर के अन्तर्गत कुआजति माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 25 फरवरी 2014

क्रमांक 22/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-कोटा

(ग) नगर/ग्राम-उमरमरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-17.54 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	598/1	0.80
	163/2	0.49
	607/2	0.60
	167/2	0.58
	165/1	1.38
	649/1	2.18
	615	2.56
	648/8	0.41
	608/2	1.87
	648/1	0.72
	648/9	0.72
	614/1	1.12
	618	1.44
	648/3	0.52
	617	1.23
	165/2	1.43
	165/3	1.37
	168	0.10
	598/5	0.25
	613	1.00
	605/1	0.40
	606/1	0.20
	609/2	0.30
	612/1	0.25
	610/1	0.08
	611/1	0.02
	622	0.25
	646/4	0.21
	648/2	0.25
	161/2	0.20
	619/1	0.20
	648/4	0.58
	598/2	0.25
	648/7	1.40
	162	1.29
	163/1	0.49
	161/1	0.30
	608/1	0.10
योग	38	17.54

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लारीपारा व्यपवर्तन योजना शीर्ष कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 28 फरवरी 2014

क्रमांक 02/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-मोहनभाठा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-12.22 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
541	0.04
542/1, 542/2	0.84
561	0.15
556/1	0.02
557	0.53
552/2	0.06
562/1	0.85
772	0.13
562/2, 562/3	0.41
543	0.22
559	0.08
558	0.18
563/4	0.10
554	0.24
553/1	0.21
553/2	0.32
552	0.05
551/1, 625	0.37
626/2	0.06
627	0.02
768/3	0.42
626/1	0.13
629/2	0.58
618	0.08
617	0.03
653	0.38
651, 652	0.06
655	0.40
654	0.24
656/1, 656/2, 656/3, 656/4	0.42
657/4	0.17
688/1, 688/2	0.45
689/1	0.13
689/2, 689/3	0.22
689/4	0.09
689/5	0.08
790/1, 790/2	0.29
755/1	0.52
769/2	0.35
755/2, 755/3	0.42
755/4	0.20
756/1	0.20
767	0.12
766	0.02
771/2	0.21
770	0.40
768/1	0.38
769/1	0.35
योग 59	12.22

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सल्का व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 28 फरवरी 2014

क्रमांक 18/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-कंचनपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.45 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
248/1	0.25
240/28	0.90
240/23	1.70
240/25	0.27
240/8	0.28
240/16	0.50
241/1	0.15
244	0.60
245	0.80
योग	5.45

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आमामुडा व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर (कुवाजति माइनर) निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 17 फरवरी 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 53/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-तारापुर, प.ह.नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.606 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
568	0.016
576/1	0.178
580	0.020
586	0.105
613	0.053
605	0.041
615	0.016
569	0.065
588/1	0.008
585	0.065
589/2	0.016
603	0.081
619	0.065
640	0.065
570	0.081
577	0.016
581	0.073
601	0.032
604	0.016
606	0.097
637	0.016
572	0.020
583	0.186
618	0.045
602	0.113
617	0.004
614	0.113
योग 27	1.606

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की नहर अंतर्गत तारापुर माइनर नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 फरवरी 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 54/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-रायगढ़
(ग) नगर/ग्राम-कुसमुरा, प.ह.नं. 20
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.057 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	10/2	0.170
	14/2	0.081
	485/1	0.032
	484	0.012
	26/2	0.057
	470/1	0.073
	38/1	0.081
	49	0.065
	154/1	0.088
	457/2क	0.020
	472/1	0.024
	493/1	0.073
	499	0.032
	494	0.049
	33	0.073
	14/3	0.178
	21/2	0.202
	22/1	0.065
	26/3	0.041
	476	0.004
	38/2	0.008
	51/1	0.008
	456/1	0.004
	469/1	0.073
	481	0.016
	501/1	0.049
	507	0.032
	457/2ख	0.036
	493/2	0.061
	153/2	0.085
	23/1	0.077
	27/2	0.045
	34	0.073
	39/1	0.056
	52/1	0.004
	457/1	0.053
	469/2	0.073
	482	0.020
	502/1	0.041
	508	0.032
	488	0.061
	21/1	0.032
	483	0.020
	23/2	0.069
	151/2	0.113
	35/1	0.036
	32/1166/4	0.054
	152	0.089
	456/2	0.085
	471	0.057
	39/2	0.081
	502/2	0.049
	509	0.045
योग	53	3.057

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की नहर अंतर्गत कुसमुरा माइनर नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 फरवरी 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 55/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-रायगढ़
(ग) नगर/ग्राम-ठाकुरपाली, प.ह.नं. 18
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.819 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
165/3	0.049
199/1	0.032
205/1च	0.043
212/5	0.041
207/2	0.020
204/2	0.049
200/1	0.049
211/1क	0.045
213/1क	0.101
165/4	0.032
211/2	0.041
212/1	0.041
213/6	0.085
165/5	0.020
201/3	0.043
212/2	0.036
213/3	0.092
योग 17	0.819

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की नहर अंतर्गत तारापुर माइनर नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 फरवरी 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 56/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-रायगढ़

(ग) नगर/ग्राम-बालमगोड़ा, प.ह.नं. 19

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.799 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
19/1	0.045
177	0.077
28/1ख	0.024
218/2	0.049
184	0.045
192/5	0.004
195/2	0.045
201/2	0.004
206/2	0.073
213/1	0.049
23/1क	0.049
218/1	0.041
203/1	0.045
23/6	0.041
172/2	0.041
176	0.065
219	0.089
193	0.093
196	0.101
203/2	0.032
210/2	0.065
219/1	0.065
23/8क	0.016
221	0.113
20	0.162
23/8ख	0.057
183	0.057
211/2	0.109
186	0.097
194	0.073
197/1	0.012
241/7	0.045
212	0.012
220/2	0.081
204	0.01[illegible]
172/1	0.028
23/10	0.032
205	0.218
217	0.113
192/4	0.024
195/1	0.012
197/2	0.081
206/1	0.081
220/1	0.073
179/1	0.004

	(1)	(2)
	214/2	0.125
योग	46	2.799

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की नहर अंतर्गत कुसमुरा माइनर नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 फरवरी 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 59/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-पुटकापुरी, प.ह.नं. 25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.061 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	1335/1	0.061
योग	1	0.061

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की नहर अंतर्गत रूचिदा माइनर नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

मुंगेली, दिनांक 7 मार्च 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-मुंगेली (छ.ग.)
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-खेढ़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.84 एकड़

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
	451	0.01
	447	0.18
	445	0.45
	340/2	1.29
	351/1	0.14
	359	0.34
	358	0.24
	357	0.36
	354	0.23
	356	0.28
	355/3	0.07
	275/3	0.72
	366	0.66
	274/5	0.12
	367/3	0.14
	367/4	0.38
	367/8	0.23
योग	17	5.84

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मुंगेली बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 7 मार्च 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-मुंगेली (छ.ग.)
(ख) तहसील-मुंगेली
(ग) नगर/ग्राम-मौहामड़वा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.53 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	56	0.14
	55/3	0.75
	54	0.13
	61	0.45
	48	0.48
	62, 63, 64, 65	0.36
	22	0.28
	21/1, 2	0.45
	114	0.10
	23/1	0.26
	14	0.33
	5, 6, 7, 8, 9, 10	0.92
	110/2	0.20
	112	0.06
	113	0.36
	1, 2, 3	0.01
	38/1	0.25
योग	17	5.53

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मुंगेली बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 7 मार्च 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-मुंगेली (छ.ग.)
(ख) तहसील-मुंगेली
(ग) नगर/ग्राम-खैरवार
(घ) लगभग क्षेत्रफल-10.28 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
50/1	0.26
50/2	0.26
241/2, 3	0.37
49/5	0.21
51/2	0.04
91	0.55
51/1	0.24
54	0.30
55/1	0.62
55/5, 56/6	0.28
67/1	0.02
66/3	0.34
66/1	0.44
64	0.25
65	0.01
63/3	0.40
63/4, 5	0.26
104/7	0.08
104/3	0.63
104/6	0.22
105	0.02
104/1, 2	0.70
103/1, 3	0.14
100	0.14
87/11	0.22
87/10	0.43
244/1	0.06

	(1)	(2)
	87/4	0.50
	87/5	0.22
	89	0.44
	93	0.11
	241/1	0.17
	244/8	0.28
	244/2	0.40
	244/4	0.67
योग	35	10.28

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मुंगेली बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 7 मार्च 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 09/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-मुंगेली (छ.ग.)
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-रामगढ़
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.80 एकड़

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
	509	0.80
योग	1	0.80

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मुंगेली बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 7 मार्च 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-मुंगेली (छ.ग.)
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-रेहुटा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-11.05 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
62	0.54
63	0.15
64, 65, 66/1	0.01
70/2, 71/2	0.37
70/3, 71/3	0.56
162/2	0.11
164/1	0.28
164/2	0.10
163	0.20
167/1, 2, 3, 4	0.46
392	0.46
243/1, 2	0.51
266	0.01
244	0.02
253	0.15
245	0.53
252	0.14
249	0.18
251	0.11
451/2	0.22
250	0.75
339	0.70
340/1, 2	0.12
338/1, 2	0.43
338/5	0.37
396/1	0.05
390	0.36

	(1)	(2)
	391	0.08
	387/3	0.22
	448	0.36
	453/2	0.24
	453/1	0.50
	467/2	0.20
	449/2	0.36
	450	0.28
	451/1	0.22
	469/3	0.22
	468	0.18
	470/1	0.24
	467/3	0.26
योग	40	11.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मुंगेली बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 7 मार्च 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-मुंगेली (छ.ग.)
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-बुंदेली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.42 एकड़

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
	2/1	0.21
	2/2	0.21
योग	2	0.42

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मुंगेली बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 7 मार्च 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-मुंगेली (छ.ग.)
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-बरबसपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.06 एकड़

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
	61, 62	0.12
	64	0.48
	52/4	1.62
	7/1	0.84
योग	4	3.06

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मुंगेली बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 7 मार्च 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-मुंगेली (छ.ग.)
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-नेवासपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.35 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	22	0.05
	23/14	0.50
	23/11	0.46
	18/5	0.35
	18/1	0.20
	15/21	0.88
	15/15	0.46
	15/13	0.29
	15/27	0.33
	15/7	0.46
	14/2	0.37
योग	11	4.35

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मुंगेली बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 7 मार्च 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-मुंगेली (छ.ग.)
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-जेठूकापा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.91 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	2/1श	0.61
	2/1स	0.46
	2/1ण	0.29
	2/1त	0.42
	2/1ट-2, 6/2	0.42
	6/6	0.61
	7/2	0.44
	5/3	0.64
	5/20	0.02
योग	9	3.91

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मुंगेली बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 7 मार्च 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-मुंगेली (छ.ग.)
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-दुल्हीन बाय
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.03 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
182	0.02
181	0.08
177/2	0.26
176/2	0.17
176/3	0.24
176/1	0.22
175/2	0.16
175/2	0.14
174/1	0.17
174/2	0.17
71/1	0.37
70/5	0.28
70/1	0.20
70/6	0.12
70/3	0.11
69/3	0.58
69/4	0.34
49/2	0.13
49/17	0.10
64	0.05
53, 54	0.12
योग 21	4.03

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मुंगेली बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 7 मार्च 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 16/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-मुंगेली (छ.ग.)
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-रामाकापा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.94 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
330, 331/1	0.15
332	0.46
292/3	0.11
333, 335	0.45
321	0.24
320/1	0.10
159/1	0.02
292/2	0.04
158	0.04
293	0.11
294	0.13
157	0.12
156	0.14
150, 151/1	0.12
155	0.35
154	0.02
138, 139, 140	0.34
योग 17	2.94

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मुंगेली बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 7 मार्च 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-मुंगेली (छ.ग.)
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-करूपान
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.85 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	36/5	0.24
	36/2	0.31
	36/2	0.20
	36/7	0.11
	34/1, 37/1	0.39
	38/1	0.35
	39/2	0.30
	32/4	0.08
	32/1	0.26
	32/3	0.22
	41/2	0.02
	31/2	0.29
	31/3	0.31
	31/1	0.17
	23/1	0.02
	23/2	0.18
	58/1	0.40
योग	17	3.85

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मुंगेली बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 7 मार्च 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-मुंगेली (छ.ग.)
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-चोरहा बुंदेली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.11 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	18/5	0.14
	18/4	0.48
	18/11	0.08
	17/2, 18/2	0.41
योग	4	1.11

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मुंगेली बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 7 मार्च 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 19/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-मुंगेली (छ.ग.)
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-लिलवाकापा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.46 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	151, 153	0.46
योग	1	0.46

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–मुंगेली बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. महावर, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी जिला बीजापुर (छ.ग.)

बीजापुर, दिनांक 11 मार्च 2014

क्रमांक/960/2014.—बंधक श्रमिक (उत्सादन) अधिनियम 1976 (1976 का संख्या 19 में) की धारा 13 उपधारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं मोहम्मद कैसर अब्दुल हक, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला बीजापुर एतद्द्वारा बंधक श्रमिकों के विमुक्ति पुनर्वास एवं अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के प्रयोजन हेतु बीजापुर जिला में अनुभाग बीजापुर के लिये अनुभाग स्तरीय सतर्कता समिति का गठन करता हूं, जिसमें निम्न सदस्य होंगे :—

क्र. (1)	नाम व पदनाम (2)	समिति में (3)
1.	श्री बीरेन्द्र बहादुर पंचभाई, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, बीजापुर	अध्यक्ष
2.	(1) श्री गुट्टाराम कश्यप, निवासी ग्राम तालनार, विकासखण्ड भैरमगढ़ (2) श्री जगबंधु मांझी, निवासी ईटपाल, विकासखण्ड बीजापुर (3) श्रीमति गोबिन्दा राना, निवासी बीजापुर, विकासखण्ड बीजापुर	सदस्य
3.	(1) श्री दसरू राम, निवासी चिहका, विकासखण्ड भैरमगढ़ (2) श्री मधुकर कोण्ड्रा, निवासी बीजापुर, विकासखण्ड बीजापुर	सदस्य
4.	(1) श्री अब्बास अली शेख, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, भैरमगढ़ (2) श्री अशोक राव नायडू, सहायक विकास विस्तार अधिकारी, बीजापुर (3) श्री आर. के. गुप्ता आंतरिक करारोपण अधिकारी, जनपद पंचायत, बीजापुर	सदस्य
5.	शाखा प्रबंधक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, बीजापुर	सदस्य
6.	श्री डी. डी. महंत, तहसीलदार, बीजापुर	सदस्य/सचिव

बीजापुर, दिनांक 11 मार्च 2014

क्रमांक/961/2014.—बंधक श्रमिक (उत्सादन) अधिनियम 1976 (1976 का संख्या 19 में) की धारा 13 उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं मोहम्मद कैसर अब्दुल हक, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला बीजापुर एतद्द्वारा जिला बीजापुर में बंधक

श्रमिकों के विमुक्ति पुनर्वास एवं अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के प्रयोजन हेतु जिला स्तरीय सतर्कता समिति का गठन करता हूं, जिसमें निम्न सदस्य होंगे :—

क्र. (1)	नाम व पदनाम (2)	समिति में (3)
1.	श्री जी. सी. नाहटा, संयुक्त कलेक्टर, बीजापुर	अध्यक्ष
2.	श्री ओंकार तारम, निवासी बीजापुर, विकासखण्ड बीजापुर	सदस्य
3.	श्री जग्गुराम तेलामी, निवासी नेलसनार, विकासखण्ड भैरमगढ़	सदस्य
4.	श्री राममूर्ति ककेम, निवासी उसूर, विकासखण्ड उसूर	सदस्य
5.	श्री हरिशंकर अमांद, निवासी अमानपारा, बीजापुर विकासखण्ड बीजापुर	सदस्य
6.	श्रीमति पार्वती साहनी, निवासी बीजापुर, विकासखण्ड बीजापुर	सदस्य
7.	श्री एम. डी. जिराम, उप संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा, बीजापुर	सदस्य
8.	श्री जी. आर. अजगल्ले, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बीजापुर	सदस्य
9.	श्रीमति महादेवी आभा, निवासी बीजापुर, विकासखण्ड बीजापुर	सदस्य
10.	शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, बीजापुर	सदस्य

बीजापुर, दिनांक 11 मार्च 2014

क्रमांक/962/2014.—बंधक श्रमिक (उत्सादन) अधिनियम 1976 (1976 का संख्या 19 में) की धारा 13 उपधारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं मोहम्मद कैसर अब्दुल हक, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला बीजापुर एतद्द्वारा बंधक श्रमिकों के विमुक्ति पुनर्वास एवं अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के प्रयोजन हेतु बीजापुर जिला में अनुभाग भोपालपटनम् के लिये अनुभाग स्तरीय सतर्कता समिति का गठन करता हूं, जिसमें निम्न सदस्य होंगे :—

क्र. (1)	नाम व पदनाम (2)	समिति में (3)
1.	श्री सी. डी. वर्मा, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, भोपालपटनम्	अध्यक्ष
2.	(1) श्री यालम मूर्ति, निवासी गुलापेन्टा, विकासखण्ड भोपालपटनम् (2) श्री किसर चन्द्रैया, निवासी इलमिड़ी, विकासखण्ड उसूर (3) श्री माड़वी देवा, निवासी दारेली, विकासखण्ड उसूर	सदस्य
3.	(1) श्री टी. गोवर्धन, निवासी तिमेड़, विकासखण्ड भोपालपटनम् (2) श्री शेख नैमुद्दीन खान, निवासी आवापल्ली, विकासखण्ड उसूर	सदस्य
4.	(1) श्री युगल किशोर शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, भोपालपट्नम	सदस्य

(1)	(2)	(3)
	(2) श्री मर्तनुस लकड़ा, सहायक विकास विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड उसूर (3) श्री बी. के. शांडिल्य, सहायक विकास विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड उसूर	
5.	शाखा प्रबंधक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, भोपालपट्नम	सदस्य
6.	श्री उदयराज सिंह, नायब तहसीलदार, भोपालपट्नम	सदस्य/सचिव

मोहम्मद कैसर अब्दुल हक,
कलेक्टर एवं
जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, सक्षम अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

डभरा, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

प्रारूप-घ
(नियम देखिये)

क्रमांक 974.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है.) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी डभरा को अधिसूचना क्रमांक भाग-1/1001 दिनांक 31 मई 2013 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एन.टी.पी.सी. लारा परियोजना के लिये जल परिवहन द्वारा साराडीह बैराज से भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जत करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 31 मई 2013 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइप लाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का

अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	कोसमंदा/22	496	0.040
			75/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20	1.517
			77/1	0.040
			77/2	0.020
			77/3	0.010
			101	2.023
			67	0.162
			68	0.040
			65/1	0.121
			65/2	0.040
			66	0.202
			114	0.057
			115	0.040
			122/5	0.101
			122/4	0.050
			122/3	0.101
			122/1	0.101
			122/2	0.162
			123	0.050
			111/1, 2, 3, 4	0.010
			योग	**4.887**

डभरा, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखिये)

क्रमांक 976.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है.) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी डभरा को अधिसूचना क्रमांक भाग-1/1002 दिनांक 31 मई 2013 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एन.टी.पी.सी. लारा परियोजना के लिये जल परिवहन द्वारा साराडीह वैराज से भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जत करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 31 मई 2013 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइप लाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	फलियामुंडा/22	190/1	0.485
			194/1, 2, 3, 4	0.565
			192/2क, 193/2क	0.150
			192/2ख, 193/2ख	0.150
			199	0.040
			198/1	0.321
			196/8	0.136
			196/2	0.291
			196/6	0.080
			197	0.040
			121	0.080
			122/4	0.080
			120	0.088
			119	0.202
			122/2क	0.040
			122/2ख	0.080
			122/3	0.080
			122/6	0.101
			122/7	0.121
			116	0.214
			61	0.010
			114/1	0.121
			105	0.010
			103	0.050
			57/2, 58	0.050
			102/3	0.050
			102/1	0.049
			102/2	0.128
			115/2	0.220
			101	0.077
			107/2	0.088
			107/1	0.040

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	फलियामुंडा/22	117/1, 2, 3, 4	0.101
			109/1, 2, 3, 4, 5, 6	0.240
			99/3	0.080
			48/2	0.080
			47/15	0.280
			48/1	0.050
			55	0.105
			46	0.088
			45	0.088
			44	0.040
			59	0.070
			60	0.125
			43/1	0.030
			42/1	0.300
		योग		**5.914**

के. के. शर्मा,
सक्षम अधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

कार्यालय मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ एवं अध्यक्ष बलायर अटेन्डेन्ट्स परीक्षा मंडल

जी.ई. रोड, आमापारा, पो. विवेकानंद आश्रम, रायपुर छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 21 फरवरी 2014

क्रमांक मुनिवा/रिजल्ट/1233/2014.—बायलर परिचर नियम-2011 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रथम श्रेणी बायलर परिचर (अटेन्डेन्ट्स) की प्रवीणता प्रमाणपत्र प्रदान करने हेतु रायपुर में दिनांक 18 से 19 फरवरी 2014 को परीक्षा आयोजित की गई. परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित आवेदकों की सूची निम्नानुसार है :—

प्रमाणपत्र क्रमांक (1)	अनु. क्र. (2)	परीक्षार्थी का नाम (3)	पिता का नाम (4)
251	02	श्री लाकेश्वर दास वैष्णव	श्री खेलावन दास वैष्णव
252	03	श्री मुकेश कुमार साहू	श्री भरत लाल साहू
253	04	श्री गिरधर प्रसाद शर्मा	श्री गणेश प्रसाद शर्मा
254	06	श्री संजीव कुमार शर्मा	स्व. श्री आर. एस. शर्मा
255	07	श्री सुरेश बाबू नूकला	श्री वी. कोटेश्वर राव
256	08	श्री संदीक मोहम्मद	श्री राज मोहम्मद
257	09	श्री वेकटाराव वाराडा	श्री चिन्नम नायडू
258	11	श्री आत्मा नन्द शुक्ला	श्री ब्रहमा नन्द शुक्ला

(1)	(2)	(3)	(4)
259	12	श्री ध्रुव कुमार दाहिया	श्री रामा दाहिया
260	15	श्री बिहारी लाल बंजारे	स्व. श्री समारू लाल बंजारे
261	16	श्री उदय सिंह	श्री सकल देव सिंह
262	17	श्री लक्ष्मी प्रसाद निर्मलकर	श्री शंकर लाल निर्मलकर
263	20	श्री राजेन्द्र सिंह	श्री बिशम्बर सिंह
264	21	श्री चन्द्र शेखर श्रीवास	स्व. गोपाल प्रसाद श्रीवास
265	22	श्री तिलक प्रसाद	श्री दुर्जन प्रसाद
266	26	श्री दिल चन्द बरेठ	श्री सरजू राम बरेठ
267	28	श्री विनोद कुमार कैवर्त्य	श्री मुनी लाल कैवर्त्य
268	30	श्री दाऊ राम साहू	श्री अंजू राम साहू
269	39	श्री अभय कुमार यादव	श्री सुरेन्द्र सिंह यादव
270	41	श्री लौकेश सिंह	स्व. धन्नु सिंह
271	44	श्री राम हरि दास	स्व. खोखाई दास
272	45	श्री भागचंद यादव	श्री सुनाराम यादव
273	46	श्री राजगीर गोस्वामी	श्री कल्याणगिर गोस्वामी
274	47	श्री बासू निराला	श्री बाल गोविन्द निराला
275	48	श्री नवरतन प्रसाद साहू	श्री गोपी राम साहू
276	49	श्री सुनिल कुमार गुप्ता	श्री चन्द्रभूषण प्रसाद गुप्ता
277	52	श्री अश्वनी कुमार उपाध्याय	श्री विनोद शंकर उपाध्याय
278	54	श्री महादेव महतो	स्व. प्रसादी महतो
279	55	श्री ज्ञान रंजन दास	श्री प्रफुल्ल चन्द्र दास
280	56	श्री संतोष कुमार मेहरे	श्री प्राणनाथ मेहरे
281	58	श्री घनश्याम प्रसाद पटेल	स्व. खेदू राम पटेल
282	59	श्री ईश्वर गजभिये	श्री गोविन्दाजी गजभिये
283	62	श्री योगेन्द्र कुमार पाण्डेय	श्री ब्रम्हानंद पाण्डेय
284	66	श्री प्रमोद कुमार सामल	श्री चन्द्रमणी सामल
285	67	श्री राज कुमार देवांगन	श्री गुलाब चन्द देवांगन
286	68	श्री विनोद कुमार यादव	श्री राज देव यादव
287	72	श्री गिरधारी लाल देवांगन	स्व. चिंताराम देवांगन
288	73	श्री विनोद कुमार हिरकने	श्री इंद्र कुमार हिरकने
289	75	श्री लोमश कुमार	श्री उदेराम [illegible]दव
290	76	श्री आशीष कुमार वर्मा	श्री रामकरण [illegible]
291	77	श्री गोपाल सिंह	स्व. राम सुंदर सिंह
292	78	मो. अशरफ खान	स्व. स्वाले खान
293	79	श्री कृष्ण कुमार	श्री मंगल दास
294	80	श्री निरंजन बेहेरा	श्री लीमा बेहेरा
295	85	मो. एहसान मंसूरी	मो. छोटन मंसूरी
296	86	श्री उत्तम देवांगन	श्री प्यारे लाल देवांगन
297	87	श्री अरूण कुमार देवांगन	श्री रामरतन देवांगन
298	88	श्री अनुप कुमार बन्सोड	स्व. सत्य कुमार बन्सोड
299	89	श्री हेमराज यादव	श्री मिठु राम यादव
300	90	श्री मदन मोहन मिश्रा	श्री भगवान मिश्रा

(1)	(2)	(3)	(4)
301	91	श्री संजय कुमार कुशवाहा	श्री शत्रुधन प्रसाद कुशवाहा
302	92	श्री राकेश रोशन सूद	स्व. अमृत लाल सूद
303	93	श्री जागेश्वर प्रसाद वर्मा	श्री हेम राम वर्मा
304	94	श्री सुशील कुमार जायसवाल	श्री बुदधा लाल जायसवाल
305	95	श्री कृष्ण कुमार वर्मा	श्री पुसराम वर्मा
306	96	श्री भोजराम साहू	श्री रामेश्वर प्रसाद साहू
307	98	श्री संजय सिंह	श्री सियाराम सिंह
308	99	श्री सुनील राय	श्री नगीना राय
309	100	श्री अभिजीत तामस्कर	स्व. अनिल तामस्कर
310	38	श्री अरविन्द कुमार दुबे	श्री शिवनाथ दुबे
311	83	श्री राज किशोर सिंह	श्री मिथलेश सिंह
312	101	श्री यशेश कुमार तिवारी	श्री रामवतार तिवारी
313	102	श्री गंगाधर प्रसाद त्रिपाठी	श्री बजरंग प्रसाद त्रिपाठी
314	103	श्री प्रमोद कुमार सिंह	श्री अमरसिंह
315	104	श्री दीपक कुमार कन्नौजे	श्री लतेलू राम कन्नौजे
316	106	श्री सुधीर कुमार	श्री रामवृक्ष सिंह
317	107	श्री संजय चंद्राकर	श्री मेहत्तर राम चंद्राकर
318	108	श्री विमलेश कुमार यादव	श्री आर. ऐ. सिंह
319	110	श्री सुरेश कुमार साहू	श्री लोकनाथ साहू
320	114	श्री शिव कुमार	स्व. अजमेर सिंह
321	120	श्री हेमन्त कुमार वर्मा	श्री दिलीप कुमार वर्मा
322	122	श्री सिरोतन कन्नौजे	श्री खोरबहरा राम कन्नौजे
323	124	श्री बनवारी लाल	श्री छेदी लाल

फणीन्द्र कुमार भोई,
सचिव.

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
बीज भवन, जी. ई. रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 मार्च 2014

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2013-14/7266.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2012-13/5050-51 रायपुर, दिनांक 03-11-2012 द्वारा श्रीमति तुलिका प्रजापति, अनुविभागीय अधिकारी को कृषि उपज मंडी समिति धमतरी जिला-धमतरी का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 1423 दिनांक 01-03-2014 द्वारा श्रीमति लक्ष्मी ठाकुर डिप्टी कलेक्टर जिला कार्यालय धमतरी को कृषि उपज मंडी समिति धमतरी के लिए भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्रीमति तुलिका प्रजापति, अनुविभागीय अधिकारी धमतरी का पदस्थापना/स्थानांतरण अन्यत्र हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्रीमति लक्ष्मी ठाकुर डिप्टी कलेक्टर जिला कार्यालय धमतरी को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति धमतरी, जिला धमतरी का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

भुवनेश यादव,
प्रबंध संचालक.

कार्यालय, कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) जिला धमतरी

धमतरी, दिनांक 3 मार्च 2014

संशोधित

क्रमांक/227/भू-अभि./हल्का पुनर्गठन/2014.—जिला धमतरी के पटवारी हल्का पुनर्गठन अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशन करने बाबत् प्रेषित किया गया था, जो शुक्रवार दिनांक 07 फरवरी 2014 के राजपत्र में भाग-1 पृष्ठ 239 से 254 में प्रकाशित हुआ है.

उक्त प्रकाशित अधिसूचना में हुई त्रुटियों का कृपया संशोधित अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन करने का कष्ट करें.

स. क्र. (1)	तहसील का नाम (2)	रा.नि.मं. का नाम (3)	प.ह.नं. एवं मुख्यालय का नाम (4)	ग्राम का नाम (5)	ग्राम पंचायत का नाम (6)
151	नगरी	सिहावा	27 बेलरगांव	बेलरगांव	बेलरगांव
164	नगरी	सिहावा	29 घुडावर	घुडावर	घुडावर
39	करूद	कुरूद	15 सिर्वे	सिर्वे	सिर्वे

एन. एस. मंडावी,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 13th February 2014

No. 96/Confdl./2014/II-2-1/2014.—The following Members of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, are hereby transferred from the place shown in column No. (3) to the place shown in column No, (4) and are posted in the capacity as mentioned in column No. (6) from the date they assume charge of their office and ;

The following Member of Higher Judicial Service are appointed as Sessions Judges of the Sessions Division mentioned in Column No. (5), from the date they assumes charge of their office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Gautam Chaouradia, District & Sessions Judge.	Bilaspur	Durg	Durg	District & Sessions Judge.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Shri Mahendrapal Singhal, District & Sessions Judge.	Rajnandgaon	Kanker	Uttar Bastar (Kanker)	District & Sessions Judge.
3.	Shri Mahadev Katulkar, District & Sessions Judge.	Uttar Bastar (Kanker)	Bilaspur	Bilaspur	District & Sessions Judge.
4.	Shri Makardhwaj Jagdalla, Special Judge under SC & ST (P.A.), Act.	Raipur	Dhamtari	Dhamtari	District & Sessions Judge.
5.	Shri Sypriel Xess, Judge, Family Court.	Kanker	Rajnandgaon	Rajnandgaon	District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 13th February 2014

No. 98/Confdl./2014/II-2-1/2014.—The following Member of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, is transferred from the place mentioned in column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and is posted on the post of special Judge of the Special Court established by the State Government under section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 from the date he assumes charge of his office and;

The following Member of Higher Judicial Service is also appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5), from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Sanjay Kumar Jaiswal, II Additional District & Sessions Judge.	Raipur	Raipur	Raipur	Special Judge under SC & ST (Prevention of Atrocities) Act.

Bilaspur, the 14th February 2014

No. 101/Confdl./2014/II-2-90/2001 (Pt.-III).—Ku. Sanghratna Bhatpahari, Member of Higher Judicial Service and presently posted as I Additional District & Sessions Judge, Korba is transferred and appointed as Additional Registrar (Classification), in the Establishment of the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur from the date she assumes charge of her office.

Bilaspur, the 14th February 2014

No. 103/Confdl./2014/II-2-1/2014.—The following Member of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, is hereby transferred from the place shown in column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and is posted in the Fast Track Court of Additional District Judge established by the State Government vide Notification No 3526/21-B/13 dated 30-04-2013 in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date he assumes charge of his office and;

The following Member of Higher Judicial Service is appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5), from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Yogesh Pareek, II Additional District & Sessions Judge.	Baloda-Bazar	Raigarh	Raigarh	Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court).

Bilaspur, the 14th February 2014

No. 109/Confdl./2014/II-2-4/2002.—The following Judicial Officers of Higher Judicial Service, as specified in column No. (2) of the table below, in whose favour a certificate was issued vide Registry Order No. 410/Confdl./2012/II-2-4/2002 dated 30-07-2012, are hereby, confirmed in Higher Judicial Service from the date as mentioned in column No. (3) :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Date of confirmation (3)
1.	Shri Hemant Saraf	27-01-2014
2.	Shri Rakesh Bihari Ghore	27-01-2014

Bilaspur, the 14th February 2014

No. 111/Confdl./2014/II-3-2/2002.—Ku. Monika Jaiswal, Civil Judge Class-II, in whose favour a certificate was issued in terms of Rule 11(5) of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 vide Registry Order No. 597/Confdl./2012/II-3-2/2002 dated 01-09-2012, is hereby confirmed in the lower Judicial Service with effect from 27-01-2014.

By order of the High Court,
ASHOK PANDA, Registrar General.

Bilaspur, the 6th March 2014

No. 568/L.G./2014/II-3-16/2006.—Shri Anil Kumar Shukla, District & Sessions Judge, Raigarh is hereby, granted earned leave for 03 days from 20-02-2014 to 22-02-2014 along with permission to remain out of headquarters from 20-01-2014 till 23-02-2014.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Shukla, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+12 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 6th March 2014

No. 569/L.G./2014/II-2-07/2009.—Shri Mahadev Katulkar, the then District & Sessions Judge, Uttar Bastar (Kanker) is hereby granted earned leave for 05 days from 03-02-2014 to 07-02-2014 along with permission to remain out of headquarters from 02-02-2014 till 09-02-2014.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Katulkar had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 280 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 6th March 2014

No. 571/L.G./2014/II-2-17/2006.—Shri A. L. Joshi, Judge, Family Court, Janjgir-Champa is hereby granted earned leave for 08 days from 10-02-2014 to 17-02-2014 along with permission to remain out of headquarters during the said period.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Joshi, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 296 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 6th March 2014

No. 572/L.G./2014/II-2-11/2007.—Shri M. D. Jagdalla, District & Sessions Judge, Dhamtari is hereby granted earned leave for 02 days on 28-02-2014 to 01-03-2014 along with permission to remain out of headquarters from the morning (06.00 a.m.) of 27-02-2014 till the evening (06.00 pm.) of 02-03-2014.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Jagdalla, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 242 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 6th March 2014

No. 573/L.G./2014/II-3-19/2000.—Shri Sandeep Bakshi District & Sessions Judge, Janjgir-Champa is hereby, granted commuted leave for 08 days from 22-02-2014 to 01-03-2014.

During the period of commuted leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Bakshi, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 362 days of half-pay leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 6th March 2014

No. 574/L.G./2014/II-2-20/2005.—Shri M. P. Singhal, the then District & Sessions Judge, Rajnandgaon is hereby, granted earned leave for 05 days from 14-02-2014 to 18-02-2014 along with permission to remain out of headquarters during the said period and earned leave for 03 days from 24-02-2014 to 26-02-2014 and permission to prefix holiday of 23-02-2014 (Sunday) & Suffix holiday of 27-02-2014 (Mahashivratri) along with permission to remain out of headquarters during the said period.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Singhal, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 287 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 10th March 2014

No. 575/L.G./2014/II-02-04/2014.—Shri Sanjay Kumar Jaiswal Special Judge (Atrocities), Raipur is hereby, granted earned leave for 02 days on 05-03-2014 & 06-03-2014.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Jaiswal, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 267 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 10th March 2014

No. 576/L.G./2014/II-2-39/2004.—Shri Arvind Shrivastava, District & Sessions Judge, Raipur is hereby, granted earned leave for 02 days on 13-02-2014 & 14-02-2014 along with permission to remain out of headquarters from the evening of 12-02-2014 till before the office hours of 17-02-2014 and earned leave for 03 days from 05-03-2014 to 07-03-2014 along with permission to remain out of headquarters from the evening of 04-03-2014 till the morning of 10-03-2014.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Shrivastava, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+10 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 10th March 2014

No. 577/L.G./2014/II-2-3/2000.—Smt. Anuradha Khare, Disrict & Sessions Judge, Mahasamund is hereby, granted earned leave for 05 days from 03-03-2014 to 07-03-2014 along with permission to remain out of headquarters after the Court hours of 01-03-2014 till before the Court hours of 10-03-2014.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Khare, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+10 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

By order of the High Court,
MANSOOR AHMED, Additional Registrar (ADMN).

बिलासपुर, दिनांक 10 मार्च 2014

क्रमांक 33/दो-2-3/2000.—श्रीमति अनुराधा खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 17-02-2014 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2011 से 31-10-2013 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एम. पी. बिसोई, लेखाधिकारी.